कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

कार्यालय 07856252441 फैक्स 07856252441 e-mail-actd.dantewada@nic.in

क्रमांक/ 173 /आ.वि./EMRS/भर्ती/2023-24 दन्तेवाड़ा, दिनांक 26./04/2023

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु अतिथि शिक्षकों (Guest Teacher) /छात्रावास अधीक्षक (निश्चित मानदेय) की व्यवस्था हेतु

-: विज्ञप्ति सूचना :-

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु गठित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर छ0ग0 के अन्तर्गत जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अस्थाई रूप से मानदेय पर अध्यापन कार्य हेतु अतिथि शिक्षकों (फ्रेश/सेवानिवृत्त शिक्षकों)/छात्रावास अधीक्षक (निश्चित मानदेय) की व्यवस्था हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑफ लाईन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे है।

विज्ञापन का विस्तृत विवरण विभाग के वेबसाईट http:www.eklavya.cg.nic.in/ पर तथा जिला के वेब साईट www.dantewada.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

आवेदन संबंधी तिथियां :-

क्र.	विवरण	अभ्यर्थियों हेतु अंतिम तिथि
1	आवेदन करने की अंतिम तिथि	15 /05/2023

(कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित)

सहायक आयुक्त/सचिव,
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला- दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़

पृ.क्र./ 173A/आ.वि./EMRS/भर्ती/2023-24 दन्तेवाड़ा, दिनांक 26../04/2023

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त/पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, जनसम्पर्क, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा को उपरोक्तानुसार प्रेस विज्ञप्ति जारी कर समाचार पत्रों में प्रकाशन संबंधी कार्यवाही हेतु।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. दन्तेवाड़ा को आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया जिले के वेबसाईट www.dantewada.gov.in पर अपलोड करने संबंधी कार्यवाही हेतु।
5. संरक्षक प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कटेकल्याण को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक आयुक्त/सचिव,
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला- दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

कार्यालय 07856252441 फैक्स 07856252441 e-mail-actd.dantewada@nic.in

क्रमांक/174 /आ.वि./EMRS/भर्ती/2023-24 दन्तेवाड़ा, दिनांक 26../04/2023

जिला स्तरीय समिति, दन्तेवाड़ा के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु अतिथि शिक्षक /छात्रावास अधीक्षक की व्यवस्था हेतु

-:: मार्गदर्शी सूचना प्रारूप ::-

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत पोषित तथा छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम संस्थान समिति रायपुर द्वारा जिला दन्तेवाड़ा में जिला स्तरीय समिति के अधीन संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु शिक्षकों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अस्थाई रूप से सी.बी.एस.ई. पैटर्न पर शाला संचालन हेतु शासकीय शिक्षकों/कर्मचारियों द्वारा फ्रेश अभ्यार्थियों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों से **"प्रतिकालखण्ड"** आधार पर "अतिथि शिक्षक" (Guest Teacher) एवं निश्चित मानदेय पर "छात्रावास अधीक्षक" लिया जाना है।

1. **रिक्तियों की संख्या** - कुल विषयवार शिक्षकों एवं छात्रावास अधीक्षक की संभावित आवश्यकता निम्नानुसार है जो परिवर्तनीय है:-

क्र.	जिला	विकासखण्ड	एकलव्य विद्यालय का नाम	पी.जी.टी.								टी.जी.टी.						छात्रावास अधीक्षक		योग
				हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	भौतिक	रसायन	जीवविज्ञान	वाणिज्य	कम्प्यूटर साइंस	हिन्दी	अंग्रेजी	संस्कृत	गणित	विज्ञान	सा.विज्ञान	पुरूष	महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
2		गीदम	गीदम	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	09
3		कुआकोण्डा	कुआकोण्डा	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	08
4		कटेकल्याण	कटेकल्याण	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	06
योग :-				0	1	0	0	0	0	0	4	3	4	3	4	4	4	2	4	33

2. <u>पदों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-</u>

विज्ञापित पदों हेतु अनिवार्य योग्यता संबंधी विवरण निम्नानुसार है :-

निरंतर...2..पर

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

(1) TGT

i. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ एनसीआरटी के रिजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 04 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक डिग्री।

- TGT (तीसरी भषा) - स्नातक में एक विषय संस्कृत होना चाहिये।
- TGT (अंग्रेजी) - स्नातक में एक विषय में अंग्रेजी होना चाहिये।
- TGT (हिंदी) - स्नातक में एक विषय में हिंदी होना चाहिये।
- TGT (गणित) - मुख्य रूप से गणित भाषा के साथ दूसरे विषय के रूप में भौतिक, रसायन, विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी।
- TGT (सामाजिक विज्ञान) - स्नातक स्तर पर निम्नलिखित विषयों में से कोई भी दो मुख्य विषय के तौर पर होना चाहिये - भूगोल/अर्थशास्त्र, राजनीतिृास्त्र/इतिहास जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिये।
- TGT (विज्ञान) - बॉटनी, जियोलॉजी और केमेस्ट्री में से किन्ही दो वि-ायों के साथ विज्ञान में स्नातक डिग्री।

ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड.या समकक्ष डिग्री।

iii. राज्य शिक्षा पात्रता परीक्षा (STET Peper-II) या केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET Peper-II) में पात्रता।

(2) PGT

i. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ एनसीईआरटी के रिजनल कॉलेज ऑफ ऐजुकेशन से संबंधित विषय में 02 साल का इंटिग्रेटेड कोर्स या संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री।

- PGT (अंग्रेजी) - अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो। स्नातक स्तर पर भी अंग्रेजी विषय होना चाहिये।
- PGT (हिंदी) - हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधी धारक हो। स्नातक स्तर भी हिंदी विषय होना अनिवार्य है।
- PGT (गणित) - गणित या एप्लाईड गणित में स्नातकोत्तर उपाधी धारक हो। स्नातक स्तर भी गणित विषय होना अनिवार्य है।
- PGT (भौतिकी) - भौतिकी/ एप्लाईड भौतिकी/ न्यूक्लियर भौतिकी में स्नातकोत्तर उपाधी धारक हो। स्नातक स्तर भी भौतिकी विषय होना अनिवार्य है।
- PGT (रसायन विज्ञान) - रसायन विज्ञान/ जैव रसायन में स्नातकोत्तर उपाधी धारक हो। स्नातक स्तर भी रसायन विषय होना अनिवार्य है।
- PGT (जीव विज्ञान) - बॉटनी/ जियोलॉजी/ लाईफ साईंस/ बायोसाईंस/ जेनेटिक्स/ माइक्रोबॉयोलॉजी/ बायोटेक्नोलॉजी/ मॉलिक्यूलर बॉयो/ प्लांट फिजियोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधी धारक हो। स्नातक स्तर भी जियोलॉजी विषय होना अनिवार्य है।
- PGT (इतिहास) - इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधी धारक हो। स्नातक स्तर भी इतिहास विषय होना अनिवार्य है।
- PGT (भूगोल) - भूगोल में स्नातकोत्तर उपाधी धारक हो। स्नातक स्तर भी भूगोल विषय होना अनिवार्य है।
- PGT (वाणिज्य) - वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधी धारक हो। स्नातक स्तर भी वाणिज्य विषय होना अनिवार्य है। हालांकि एम.कॉम/ बिजनेस इकोनॉमिक्स की डिग्री धारक पात्र नहीं होंगें।

निरंतर...3..पर

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

- PGT (इकोनॉमिक्स) - इकोनॉमिक्स/ एप्लाईड इकोनॉमिक्स/ बिजनेस इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर उपाधी धारक हो। स्नातक स्तर भी इकोनॉमिक्स विषय होना अनिवार्य है।
- PGT (इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी) - बी.टेक (कम्प्यूटर साईंस/आईटी)/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री में स्नातकोत्तर उपाधी धारक हो। अथवा कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ कम्प्यूटर साईंस/ ईफारमेशन टेक्नोलॉजी में एम.टेक की डिग्री धारक।

ii. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड. या समकक्ष डिग्री।

<u>वांछनीय योग्यता :-</u>

- हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रविणता। जिसके लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र में सत्यापित करना होगा।
- शासकीय/ शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।

(3) छात्रावास अधीक्षक :-

- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक डिग्री।

वांछनीय योग्यता :-

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर या बी.एड.
- शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त अनुदान संस्थान के आवासीय विद्यालय या छात्रावास में कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव।
- आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। समान अंक प्राप्त होने पर दन्तेवाड़ा जिले के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी।
- सेवानिवृत्त को छोड़कर शेष आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। यदि आवेदक द्वारा साक्षात्कार के समय रोजगार पंजीयन की प्रति प्रस्तुत नही किया जाता है तो उन्हे नियुक्ति पत्र जारी के 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. आयु की गणना :-

<u>फ्रेश अभ्यार्थी शिक्षक</u>

(अ) पीजीटी और टीजीटी के लिए 01 अप्रैल 2023 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष है।
(ब) छात्रावास अधीक्षक के न्यूनतम 26 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष है।

<u>सेवा निवृत्त शिक्षक</u>

(अ) सेवा निवृत्त शिक्षकों के लिए - अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष (01 अप्रैल 2023 की स्थिति में) होगी। बशर्ते वे आवासीय व्यवस्था में काम करने के लिए चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ हो। चिकित्सा -सह-फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

4. चयन प्रक्रिया :-

1. जिला समितियों के अधीन विद्यालयों के लिए प्राप्त आवेदनों का परीक्षण उपरान्त पात्र अभ्यार्थियों का शैक्षणिक योग्यता एंव अनुभव के आधार पर मेरिट तैयार कर पदवार शिक्षकों का एक पैनल तैयार करेगी। यदि आवश्यक हुआ तो साक्षात्कार आयोजित कर शैक्षणिक मुल्यांकन के साथ साक्षात्कार के अंक जोड़कर अंतिम मेरिट सूची के आधार पर अंतिम पैनल तैयार किया जायेगा जिसे वर्ष भर में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के लिए उपयोग में लाया जायेगा।
2. जिला स्तर पर जिलों के अधीन विद्यालयों के लिए आवश्यक शिक्षकों की संख्या का निर्धारण कर विज्ञापन तैयार कर प्रदेश के 02 प्रमुख समाचार पत्रों विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।
3. आवेदकों को जिले में स्थित विद्यालयों के लिए प्राथमिकता क्रम से विद्यालय चयन करना होगा।

निरंतर....4....पर

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

5. <u>योग्यता सूची तैयार करने के लिए अभ्यार्थियों के लिए चयन का मापदण्ड :-</u>

अ. पी.जी.टी. जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर है के लिए

क्र.	योग्यता	अंक भार
1.	हायर सेकण्डरी के अंको का	20%
2.	स्नातक के अंको का	30%
3.	स्नातकोत्तर के अंको का	50%
अतिरिक्त अंक		
4	कार्य अनुभव (03 वर्ष हेतु-03 अंक, 04 वर्ष हेतु 04 अंक, 05 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के अनुभव हेतु अधिकतम-05 अंक) (03 वर्ष से अधिक अनुभव के पश्चात् छः माह से अधिक अनुभव को पूर्ण वर्ष माना जावेगा। छः माह से कम अनुभव के लिए कोई अंक नहीं दिया जावेगा) (शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशि-ट-छः के अनुसार)	03 वर्ष- 03 अंक 04 वर्ष - 04 अंक 05 वर्ष या 05 वर्ष से अधिक वर्ष -05 अंक
5	जिसकी माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी, तथा महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुआ हो	05 अंक
6	केवल महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो	04 अंक
7	हायर सेकेण्डरी तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो	02 अंक
8	साक्षात्कार हेतु	20 अंक

ब. टी.जी.टी. जिसमें न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर है के लिए

क्र.	योग्यता	अंक भार
1.	हायर सेकण्डरी के अंको का	20%
2.	स्नातक के अंको का	50%
3.	स्नातकोत्तर के अंको का	30%
अतिरिक्त अंक		
4	कार्य अनुभव (03 वर्ष हेतु-03 अंक, 04 वर्ष हेतु 04 अंक, 05 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के अनुभव हेतु अधिकतम-05 अंक) (03 वर्ष से अधिक अनुभव के पश्चात् छः माह से अधिक अनुभव को पूर्ण वर्ष माना जावेगा। छः माह से कम अनुभव के लिए कोई अंक नहीं दिया जावेगा) (शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-छः के अनुसार)	03 वर्ष - 03 अंक 04 वर्ष - 04 अंक 05 वर्ष या 05 वर्ष से अधिक वर्ष -05 अंक
5	जिसकी माध्यमिक, हाई स्कूल , हायर सेकेण्डरी, तथा महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में. हुआ हो तो	05 अंक
6	केवल महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो	04 अंक
7	हायर सेकेण्डरी तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो तो	02 अंक
8	साक्षात्कार हेतु	20 अंक

निरंतर....5....पर

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

6.अनुभव :-अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करने हेतु शासकीय शाला (केन्द्र/राज्य शासन के अधीन)/शासकीय अनुदान प्राप्त शाला में कार्य किये होने पर ही मान्य होगा। प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में संस्था/अनुदान प्राप्त शाला से अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण अधीन से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।

(परिशिष्ट - छः)

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षक कार्य किए हुए शिक्षकों/अतिथि शिक्षकों को मेरिट सूची में प्राथमिकता दी जावेगी।

7.नियुक्ति के संबंध में :-

1. पैनल लिस्ट के अतिथि शिक्षक को किसी भी प्रकार का नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जायेगा।
2. चयनित उम्मीदवारों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य पर लिया जा सकता है, जहां उन्हें रिक्ति/छुट्टी रिक्ति के बारे में तैनात किया जाएगा।
3. कार्य पर लिए जाने वाले अतिथा शिक्षक को एक अनुबंध प्रारूप में अनुबंध कराया जायेगा जिसमें विभिन्न शर्तों के अधीन चालू शैक्षणिक सत्र तक कार्य करने एवं कार्य दायित्वों का उल्लेख होगा। अनुबंध एक शैक्षणिक वर्ष या रिक्ति अवधि (मातृत्व अवकाश या बाल देखभाल अवकाश या 30 दिनों से अधिक की कोई अन्य लंबी छुट्टी) तक या नियमित पदधारी के स्पष्ट रिक्ति के बारे में शामिल होने को तक, जो भी पहल हो, तक वैध होगी।
4. अतिथि शिक्षक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में नियमित पदस्थापना के लिए दावा नहीं करेंगे।

8.मानदेय :-

- **फ्रेश अभ्यार्थी शिक्षक** - पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान फ्रेश अभ्यार्थी शिक्षकों को व्याख्यान/कालखण्ड के आधार पर किया जाएगा।
- **पारिश्रमिक :-**

  (अ) पी.जी.टी. एवं टी.जी.टी हेतु -

  पीजीटी- Rs .320/- प्रति कालखण्ड के मान से अधिकतम रू. 45000/- प्रतिमाह के मान से एवं टीजीटी- Rs. 300/- प्रति कालखण्ड के मान से अधिकतम रू. 42000/- के मान से।

  अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम 5 कालखण्ड प्रतिदिन और अधिकतम 6 कालखण्ड आंबटित किया जा सकता है। प्रति अवधि के आधार पर अतिथि शिक्षकों का अधिकतम वेतन निम्नानुसार अधिकतम तक सीमित किया जाता है।

  (ब) **छात्रावास अधीक्षक** -

  Rs 1200/-प्रतिदिवस या अधिकतम रू. 36000/- प्रतिमाह के मान से।

- **सेवानिवृत्त शिक्षक** - पारिश्रमिक का भुगतानः- सेवानिवृत्त शिक्षकों को मासिक आधार पर किसी भी विषय का पालन करके भुगतान किया जाएगा। सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति बिना कोई कारण बताये किसी भी समय समाप्त की जा सकती है और नोटिस अवधि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- नवोदय विद्यालय (एनवीएस)/केन्दीय विद्यालय (केवीएस) और अन्य सरकार से सेवानिवृत्त शिक्षकों के मामले में अंतिम वेतन का 50% जहां पेंशन का प्रवाधान लागू है। निजी सकूल से सेवानिवृत्त शिक्षक के मामले में जहां पेंशन लागू नही है, के लिए अधिकतम पीजीटी हेतु Rs. 45000/- टीजीटी हेतु Rs. 42000/- एवं छात्रावास अधीक्षक हेतु Rs. 36000/- पालन किया जाना है।

निरंतर....6....पर

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

9. सामान्य निर्देश :-

(अ) अतिथि शिक्षकों हेतु :-

1- छात्रावास अधीक्षक को गर्मी और सर्दियों को छुट्टी और शरद ऋतु की छुट्टी या लगातार 15 या अधिक दिनों के किसी अन्य अवकाश के दौरान भुगतान नहीं किया जाएगा।
किसी भी प्रकार की छुट्टी को विद्यालय से अनुपस्थिति माना जाएगा और इसे बिना वेतन छुट्टी माना जाएगा।

2- अतिथि शिक्षकों की सेवाएं बिना कोई कारण बताए किसी भी समय केवल 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर समाप्त की जा सकती है।

3- अतिथि शिक्षकों के कार्य के घंटे नियमित शिक्षकों के समान होगें।
अतिथि शिक्षकों कर्तव्य और जिम्मेदारियां नियमित शिक्षक / पदधारी के समान होंगी। नियमित कक्षा गतिविधि, प्रतिलिपि सुधार, निरीक्षण कर्तव्य, मुल्याकंन कर्तव्य, छात्रों का विभिन्न साहित्यिक, सहपाठ्य चर्चा, खेल गतिविधि अनुरक्षण कर्तव्य, प्रशिक्षण कार्यों के लिए नामांकन, प्राचार्य द्वारा सौंपें गये कर्तव्यों आदि शामिल होंगे।

4- अतिथि शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराया जा सकता है यदि उपलब्ध हो (व्यक्तिगत / साझा करने के आधार पर) निःशुल्क जो उन्हें अनुबंध समाप्त होने के 7 दिनों के भीतर खाली करना होगा।

5- एकलव्य विद्यालय में नियमित शिक्षक/पदधारी के शामिल होने के मामले में, जहां अतिथि शिक्षक कार्य कर रहा है, अतिथि शिक्षक को अन्य एकलव्य विद्यालय में तैनात किया जा सकता है, जहां उक्त रिक्ति मौजूद हो, बशर्ते अतिथि शिक्षक का प्रदर्शन संतोषजनक हो और अतिथि शिक्षक ने आवेदन पत्र में उस एकलव्य विद्यालय के विकल्प का प्रयोग किया। तथापि अतिथि शिक्षकों की कमी की स्थिति में अतिथि शिक्षकों की सहमति से किसी भी एकलव्य विद्यालय में पदस्थापना किया जा सकता है।

6- अतिथि शिक्षक की नियुक्ति केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए वैध रहेगा। हालांकि, अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में या अतिथि शिक्षक के संतोषजनक प्रदर्शन के साथ, अतिथि शिक्षक के नियुक्ति के वैधता को अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए NESTS के पूर्व अनुमोदन से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एकलव्य विद्यालय में मौजूद रहेगा। अतिथि शिक्षक के साथ एक नये अनुबंध में प्रवेश करें बशर्ते कि रिक्ति अभी भी मौजूद हो।

7- राज्य स्तरीय समितियां शैक्षणिक वर्ष के लिए अतिथि शिक्षकों के पैनल बनाने की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगी।

(ब) सेवानिवृत्त शिक्षकों हेतु :-

1- चयनिज उम्मीदवारों को एकलव्य विद्यालयों में अतिथि शिक्षक (सेवानिवृत्त शिक्षक) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जहां उन्हें रिक्ति /छुट्टी रिक्ति के मामले में तैनात किया जाएगा।

2- सेवानिवृत्त शिक्षकों को मासिक आधार पर 10 महीने से अधिक की अवधि के लिए या नियमित पदधारी के शामिल होने तक, जो भी पहले हो, के लिए रखा जाएगा।

3- सेवानिवृत्त शिक्षकों के काम के घंटे नियमित शिक्षकों के समान होंगे।

4- एक वर्ष में 8 आकस्मिक अवकाश के प्रावधान की अनुमति होगी।

5- सेवानिवृत्त शिक्षकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां नियमित शिक्षक /पदधारी के समान या समान होंगी। नियमित कक्षा गतिविधि, प्रतिलिपि सुधार, निरीक्षण कर्तव्य, मूल्यांकन कर्तव्य, विभिन्न साहित्यिक, सह पाठ्यचर्या, खेल गतिविधियों, अनुरक्षण कर्तव्य, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन, प्राचार्य द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों आदि के लिए छात्रों को तेयार करना।

6- सेवानिवृत्त शिक्षक को एक अधिकृत चिकित्सा व्यवसायी से चिकित्सा-सह-फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

निरंतर....7....पर

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

7- सेवानिवृत्त अतिथ शिक्षकों को उनकी उपलब्धता के आधार पर मुफ्त आवास (व्यक्तिगत/साझा करने के आधार पर) प्रदान किया जा सकता है जिसे उन्हें अनुबंध की समाप्ति के 7 दिनों के भीतर खाली करना होगा।

8- एक सेवानिवृत्त शिक्षक को आने वाले वर्षो के सेवानिवृत्त शिक्षक के पैनल के लिए विचार किया जा सकता हे, बशर्ते उसका प्रदर्श संतोषजनक हो। यदापि, यदि अन्यथा पात्र हो तो उन्हें प्रत्येक वर्ष किसी अधिकृत चिकित्सक से चिकित्सा-सह-फिटनेस प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

10. आवेदन करने हेतु सामान्य निर्देश :-

1. पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता हे। राज्य/जिला स्तरीय समिति को अधिकर होगा कि वह विज्ञापन को किसी भी समय निरस्त कर सकता है या रिक्त पदों में से पूरे या आंशिक रूप से भी कर सकता है। समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह विज्ञापन की प्रक्रिया व शर्तो को आवश्यकता होने पर बिना किसी सूचना के संशोधन या परिवर्तन कर सकता है।
2. आवेदन पत्र में अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी मूल अभिलेखें में त्रुटि पाये जाने पवर आवेदन बिना सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।
3. विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन/सूचना राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति http:www.eklavya.cg.nic.in/ एवं संबंधित जिले के वेबसाईट www.dantewada gov.in पर अपलोड कर सूचित किया जावेगा। किसी भी प्रकार की सूचना डाक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।
4. किसी प्रकार की सिफारिश पाये जाने पर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जावेगी।
5. इस भर्ती के संबंध में किसी भी प्रकार का न्यायालीन क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ राज्य होगा।

11. अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया :-

1. विज्ञापन के पदों पर आवेदन केवल ऑफलाईन स्वीकार किया जावेगा, जो http:www.eklavya.cg.nic.in/ पर तथा जिला के वेब साईट dantewada.gov.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी जिलावार रिक्त पदो के लिए पृथक-पृथक ऑफलाईन आवेदन कर सकता है।
2. भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज की प्रतिलिपि मूल अभिलेख से मिलान कर स्व-प्रमाणित होना चाहिए।
3. निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्व-प्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद बड़े लिफाफा में सील बंद कर संबंधित जिले के जिला स्तरीय समिति के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से ही भेजा जाये। भेजे जाने वाले लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक/अधीक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2023-24** लिखा जाना अनिवार्य होगा।

12. आवेदन संबंधी महत्वपूर्ण तिथियों :-

क्र.	विवरण	अभ्यर्थियों हेतु अंतिम तिथि
1	**आवेदन करने की अंतिम तिथि**	**15/05/2023**

(कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित)

सहायक आयुक्त/सचिव,
जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
जिला- दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़

परिशिष्ट – एक

//फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए मूल दस्तावेजों की सूची//

1. हाई स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
3. स्नातक की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
5. बी.एड.उत्तीर्ण की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
6. **CTET/TET** उत्तीर्ण की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
7. कार्य अनुभव का प्रमाण–पत्र (शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–छः के अनुसार)

परिशिष्ट – दो

//सेवानिवृत्त शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए मूल दस्तावेजों की सूची//

1. हाई स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
3. स्नातक की अंकसूची/प्रमाण पत्र
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
5. बी.एड.उत्तीर्ण की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
6. **CTET/TET** उत्तीर्ण की अंकसूची/प्रमाण–पत्र
8. कार्य अनुभव का प्रमाण–पत्र (शासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं का प्रमाण पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–छः के अनुसार)
9. सेवा निवृत्त शिक्षक हेतु – उसके सेवा निवृत्ति के पहले कार्यरत रहे संस्था प्रमुख से उसके सेवा निवृत्ति की तिथि तथा उसके कार्यव्यवहार के संबंध में प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।(परिशिष्ट – पाँच)

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अंशकालिन अतिथि शिक्षक के फ्रेश अभ्यर्थी हेतु आवेदन पत्र–वर्ष 2023–24

1. आवेदित जिले का नाम : ....
2. संवर्ग का नाम शैक्षणिक संवर्ग ☐ ....
3. आवेदित पदनाम : ....
4. नाम : ....
5. लिंग (महिला / पुरूष / ट्रांसजेंडर) : ....
6. पिता / पति का नाम : ....
7. जाति / वर्ग : ....
   (अ.ज.जा. / अ.जा. / अ.पि.व. / निशक्त / आर्थिक पिछड़ा / सामान्य)
8. जन्मतिथि : ....
9. आयु (दिनांक 01.04.2023 को आयु) : ....
10. पत्राचार का पूर्ण पता : ....
    ....
    ....
11. मोबाईल नं. : ....
12. ई–मेल आईडी : ....
13. आधार नंबर है :– ....

14. शैक्षणिक योग्यता

क्र0	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत में / ग्रेड	अध्ययन का माध्यम हिन्दी / अंग्रेजी
1.	High School							
2.	Higher Secondry School							
3.	Graduation							
4.	Post Graduation							
5.	B.Ed.							
6.	CTET/TET							
7	other							

15. अनुभव :
    (अ) क्या आप एकलव्य आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक कार्य का अनुभव है हां / नहीं

क्र0	संस्था का नाम	पदनाम	अवधि		कुल अवधि	
			कब से	कब तक	वर्ष	माह

16. पदस्थापना हेतु प्राथमिकता का क्रमः–

EMRS के विकल्प :–

1. ----------------------------------
2. ----------------------------------
3. ----------------------------------
4. ----------------------------------
5. ----------------------------------

घोषणा पत्र

मैं.................................. घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में पूर्णतः सही है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी एवं मेरा आवेदन स्वमेव निरस्त माना जावेगा। जिसके लिए मै स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक ....

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान ....

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षक हेतु
आवेदन पत्र–वर्ष 2023–24

1. आवेदित जिले का नाम : ....
2. संवर्ग का नाम — शैक्षणिक संवर्ग ....
3. आवेदित पदनाम : ....
4. नाम : ....
5. लिंग (महिला / पुरूष / ट्रांसजेंडर)
6. पिता / पति का नाम : ....
7. जाति / वर्ग : ....
   (अ.ज.जा. / अ.जा. / अ.पि.व. / निशक्त / आर्थिक पिछड़ा / सामान्य)
8. जन्मतिथि : ....
9. आयु (दिनांक 01.04.2023 को आयु) : ....
10. पत्राचार का पूर्ण पता : ....
    ....
    ....
11. मोबाईल नं. : ....
12. ई–मेल आईडी : ....
13. वर्तमान में किस शाला / संस्था मे पदस्थ है :–..
14. मूल विभाग का नाम :– ....
    ....

15. शैक्षणिक योग्यता

क0	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत में / ग्रेड	अध्ययन का माध्यम हिन्दी / अंग्रेजी
1.	High School							
2.	Higher Secondry School							
3.	Graduation							
4.	Post Graduation							
5.	B.Ed.							
6.	CTET/TET							
7	other							

16. नियमित पद पर (परीवीक्षा अवधि को छोड़कर) शासकीय सेवा की जानकारी :

क0	पदनाम	नियुक्ति / पदोन्नति का दिनांक	कब से कब तक	अब तक कुल सेवा अवधि.	वेतनमान

17. सेवा अवधि में दण्ड / विभागीय जांच आदि की जानकारी:-

क्र0	विभागीय जांच संस्थापित होने का दिनांक	प्रकरण की वर्तमान स्थिति	शास्ति अधिरोपित का दिनांक

18. गोपनीय चरित्रावली का विवरण :- ....
(पिछले 05 वर्ष का, वर्ष 2017से 2021तक)

वर्ष 2021.........2020 .... 2019............2018.............2017.........

19. पदस्थापना हेतु प्राथमिकता का क्रम

EMRS के विकल्प :-

1. ---------------------------------
2. ---------------------------------
3. ---------------------------------
4. ---------------------------------
5. ---------------------------------

घोषणा पत्र

मैं.................................. घोषणा करता / करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में पूर्णतः सही है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी एवं मेरा आवेदन स्वमेव निरस्त माना जावेगा। जिसके लिए मै स्वयं जिम्मेदार रहूँगा / रहूँगी।

दिनांक ....

स्थान .... आवेदक का हस्ताक्षर

सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए
सेवा निवृत्ति के पूर्व अंतिम नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु. .... पद .... संस्था का नाम .... विभाग .... सेवा निवृत्त के समय अंतिम वेतनमान रू................................से सेवा निवृत्त हुआ / हुई है। इनके विरूध्द किसी भी प्रकार की विभागीय जांच, आपराधिक, न्यायालयीन प्रकरण, दण्ड आदि नहीं है। इनके पांच वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

वर्ष 2021 [..........] 2020 [..........] 2019 [..........] 2018 [..........] 2017 [..........]

दिनांक ....

नियंत्रणकर्ता अधिकारी के
पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर

स्थान ....

परिशिष्ट – "छः"

कार्यालय का नाम
फोन / फैक्स नंबर

दिनांक ....

क्र.......................

अनुभव प्रमाण पत्र (शासकीय एवं शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कु. ....

आत्मज श्री ....जिला .... राज्य ......

...... ने ....विद्यालय में .... पद पर ....

.... विषय का दिनांक .... से .... कुल ....वर्ष ...

........माह अध्यापन कार्य किया है।

इस दौरान इनका कार्य व्यवहार संतोषजनक रहा।

प्राचार्य का हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
नाम ....
पद ....
सील ....